



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel.0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As per the E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(Email: -forestsecy-hp@nic.in)

CORRIGENDUM

विषय:- Partial Modification in Para-2 and Condition No-B(iii) of Stage-I granted on 12.12.2024 in respect of "Diversion of 0.7995 ha of forest land in favour of Seraj Hydro Power Developers for the construction of Sajla SHEP 2.00 MW located near Khakhnal Village of Tehsil Manali within the jurisdiction of Kullu Forest Division Distt. Kullu (HP)-reg".

**संदर्भ: (i) State Government letter no. HPFD-F05/119/2023-FCA dated 22.03.2025.
(ii) This office Stage-I letter No. I/90220/2024 dated 12.12.2024.**

महोदय,

With reference to the letter dated 22.03.2025 cited above on the subject, seeking rectification of some typological error, it is to inform that following corrections are communicated against subject of the Stage-I letter dated 12.12.2024.

पुरानी शर्तें इस प्रकार हैं:

2. इस प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 21.11.2024 को हुई बैठक में संतुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत Diversion of 0.7995 ha of forest land in favour of M/s Beena Butail Complex Bundla Tea Estate Palampur for the construction of Kasol Hydro Power SHEP 5 MW, within the jurisdiction of Parbati Forest Division, Distt. Kullu Himachal Pradesh हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।
- B.iii.** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3 ha के पौधारोपण का कार्य, Compartment/Survey No-53/E/5, Kasol Forest Range, Parbati Forest Division, Distt. Kullu पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें पढ़ी जाए:

2. इस प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 21.11.2024 को हुई बैठक में संतुति के उपरांत **Diversion of 0.7995 ha of forest land in favour of Seraj Hydro Power Developers for the construction of Sajla SHEP 2.00 MW located near Khakhnal Village of Tehsil Manali in Distt. Kullu (HP)-reg** हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

B.iii

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 1.60 हे. के पौधारोपण का कार्य **Compartment/Survey No. Padri Chalon DPF-III, Village- Sajla (Padri Chalon), Nagar Forest Range, Kullu Forest Division, Distt. Kullu Himachal Pradesh** पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,

Sd/-
(राजाराम सिंह)

उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: ramesh.pandey@nic.in).
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
3. वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू वन मण्डल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivkul-hp@hp.gov.in)
4. सेराज हाइड्रो पावर डेवलपर्स हाउस नंबर 123, वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश (E-mail: rajumahantkullu@gmail.com)